



कुल सचिव कार्यालय
प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

पत्रांक : प्रोरासिविवि/कुसका/2022-382
दिनांक 25 जून, 2022

सेवा में,

समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष (संस्थागत),
प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय,
प्रयागराज, उ0प्र0।


विषय: शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्देशिका के निर्गमन विषयक।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया 2022 के सम्बन्ध में प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी विवरण इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।


भवदीय


(एस0के0 शुक्ल) 25.6.22
कुल सचिव।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज को कुलपति जी को अवलोकित कराने हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी एजेन्सी को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. कुल सचिव कार्यालय।


(एस0के0 शुक्ल) 25.6.22
कुल सचिव।



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

सामान्य प्रवेश प्रक्रिया : 2022–2023

(विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु)

प्रवेश विवरणिका



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (PRSU)

नैनी, प्रयागराज-211010

Email: admission@prsuniv.ac.in

Website: www.prsuniv.ac.in

संदेश

प्रिय विद्यार्थियों,

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) में प्रवेश हेतु सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दना। यह विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने और उनकी क्षमता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अपने 14 शैक्षणिक विभागों और 657 से अधिक सम्बद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष लगभग 4.25 लाख विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित और प्रशिक्षित करते हुए शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान कर रहा है।



अकादमिक शैक्षणिक उत्कृष्टता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों के विभिन्न संकायों में स्नातक, परास्नातक और शोध के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक विभागों के माध्यम से कला, वाणिज्य व प्रबंधन के क्षेत्र में एकीकृत पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने जा रहा है।

प्रभावी एवं अनुकूल शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए विश्वविद्यालय एवं उनके समर्पित शिक्षकों द्वारा नवीनतम तकनीक एवं शिक्षण विधियों का उपयोग किया जा रहा है। जिसमें अनुभवात्मक एवं सहभागी अधिगम तथा समस्या समाधान आदि पद्धतियाँ सम्मिलित हैं। इस माध्यम से विद्यार्थियों के समग्र विकास के साथ-साथ युवा मन को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है।

विश्वविद्यालय छात्र कल्याण विभाग के माध्यम से पाठ्येत्तर गतिविधियों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श के साथ-साथ प्लेसमेंट सम्बन्धी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है।

मैं प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय में अधिगम के समृद्ध अनुभव एवं सृजनात्मक व्यक्तित्व के विकास हेतु आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करता हूँ।

डॉ० अखिलेश कुमार सिंह
कुलपति

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या)
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
सामान्य सूचना	2
विश्वविद्यालय एक दृष्टि में.....	3
महत्त्वपूर्ण निर्देश	4
विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम	5
प्रवेश पद्धति	9
परामर्श (Counselling)	10
छात्रवृत्ति	10
पाठ्यक्रम, सीट एवं न्यूनतम योग्यता	11
विश्वविद्यालय शुल्क विवरण.....	13
छात्राओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी.....	14
सम्पर्क सूत्र.....	14

सामान्य सूचना



PROF. RAJENDRA SINGH (RAJJU BHAIYA) UNIVERSITY, PRAYAGRAJ

(Uttar Pradesh State University)

Admission Notice

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj announces schedule for admission in the following Integrated/UG and PG programmes being offered at its University Teaching Departments for the session 2022-23.

HIGHLIGHTS:

- Opportunities for students to prepare for Competitive Exams (UPSC, PSC, SSC, UGC NET-JRF etc.) along with Under Graduation and Post-Graduation Studies.
- All programmes are based on Semester, Credit and Grading System.
- Multidisciplinary and Interdisciplinary Choice based credit system with multiple Entry and Exit.
- Vocational and Value Added Courses for Skill and Entrepreneurship Development.
- Digital Library and Computer Lab.

(UG+PG) Programme after 10+2

(5 Years Integrated Programmes)

- BA + MA - Integrated Programme in Arts (IPA)
- B.Com+ M.Com - Integrated Programme in Commerce (IPC)
- BBA + MBA - Integrated Programme in Management (IPM)

PG Programme after Graduation

- MA (Hindi)
- MA (Sanskrit)
- MA (Geography)
- MA (Sociology)
- MA (Political Science)
- MA (Philosophy)
- MA (English)
- MA (Public Administration)
- MA (Ancient History, Culture and Archaeology)
- MA (Economics)
- MA (Defence & Strategic Studies)
- MSW (Social Work)
- MA. (Psychology)
- M.Com. (Commerce)

Apply online only through www.prsuniv.ac.in from **June 25, 2022**. The application fee is Rs. 1000/- for General, OBC, EWS and Rs. 500/- for SC, ST, PWD. The application fee can be paid through Credit Card/ Debit Card/ Net Banking. The details of eligibility, procedure for filling the application form, number of seats, fee structure, Last Date etc. are available on our website www.prsuniv.ac.in.

REGISTRAR



प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

प्रवेश सूचना

प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज सत्र 2022-23 के लिए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में संचालित किए जा रहे निम्नलिखित एकीकृत/ स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित कर रहा है।

प्रमुख आकर्षण :

- स्नातक एवं परास्नातक के अध्ययन के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं (यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, यूजीसी नेट-जेआरएफ) की तैयारी के लिए छात्रों को अवसर।
- सभी कार्यक्रम सेमेस्टर, क्रेडिट और ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित हैं।
- बहु-प्रवेश और निकास के साथ बहु-विषयक एवं अंतर्विषयक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS)।
- डिजिटल पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर लैब के साथ कौशल और उद्यमिता विकास के लिए व्यवसायिक और मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम।

10+2 के पश्चात् स्नातक+परास्नातक पाठ्यक्रम

- **(पाँच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम)**
- बी०ए० + एम०ए० - कला में एकीकृत पाठ्यक्रम (IPA)
- बी०कॉम० + एम०कॉम० - वाणिज्य में एकीकृत पाठ्यक्रम (IPC)
- बी०बी०ए० + एम०बी०ए० - प्रबन्धन में एकीकृत पाठ्यक्रम (IPM)

स्नातक के पश्चात् परास्नातक पाठ्यक्रम

- एम०ए० (हिन्दी)
- एम०ए० (संस्कृत)
- एम०ए० (भूगोल)
- एम०ए० (समाजशास्त्र)
- एम०ए० (राजनीति विज्ञान)
- एम०ए० (दर्शनशास्त्र)
- एम०ए० (अंग्रेजी)
- एम०ए० (प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व)
- एम०ए० (अर्थशास्त्र)
- एम०ए० (रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन)
- एम०ए० (समाज कार्य)
- एम०ए० (लोक प्रशासन)
- एम०ए० (मनोविज्ञान)
- एम०कॉम० (वाणिज्य)

उपर्युक्त समस्त पाठ्यक्रमों हेतु आवेदन पत्र दिनांक **25-06-2022** से केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रवेश से सम्बन्धित समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों हेतु रू 1000/- तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु रू 500/- ऑनलाइन माध्यम (डेबिटकार्ड, क्रेडिटकार्ड एवं नेट बैंकिंग) से जमा करना होगा। विस्तृत जानकारी एवं नवीनतम सूचना हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.prsuniv.ac.in का अवलोकन करते रहें।

कुलसचिव

विश्वविद्यालय एक दृष्टि में

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 जून, 2016 में की गयी थी। विश्वविद्यालय ने विगत पाँच वर्षों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शैक्षिक-कैलेण्डर के अनुसार सत्र-नियमन से लेकर सेमेस्टर प्रणाली, सी०बी०सी०एस० प्रणाली, मानक पाठ्यक्रम, न्यूनतम समान पाठ्यक्रम, समयानुसार प्रवेश तथा परीक्षा को शुचिता पूर्ण सम्पन्न कराकर विश्वविद्यालय ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एक नये विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि परिसर में पठन-पाठन के साथ-साथ सम्बद्ध किये गये प्रयागराज मण्डल के चार जनपदों (प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं प्रतापगढ़) में स्थापित 657 महाविद्यालयों में सम्बद्धता, ऑनलाइन प्रवेश-पद्धति, ऑनलाइन शुल्क-भुगतान और पठन-पाठन के लिए उत्कृष्ट वातावरण का सृजन किया है। विश्वविद्यालय ने अपनी कार्यप्रणाली को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए लगभग सभी कार्यों में तकनीक का प्रयोग कर रहा है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म, प्रवेश पत्र, प्रतिलेख प्रमाण पत्र एवं उपाधि प्रमाण पत्र इत्यादि ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किये जा रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय चुनौती मूल्यांकन, स्क्रूटनी एवं आर०टी०आई० के लिए भी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से निस्तारण कर रहा है। विश्वविद्यालय वर्तमान सत्र से डिजिटल लॉकर पर विद्यार्थियों की अंकतालिकाएं एवं उपाधियाँ भी अपलोड कर रहा है तथा अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था प्रारम्भ करने जा रहा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में लगभग 4.25 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय परिसर में कला तथा वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय में 14 विषयों में सी०बी०सी०एस०, क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित परास्नातक पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय पी-एच०डी० पाठ्यक्रम की प्रक्रिया प्रारम्भ कर चुका है। विश्वविद्यालय अनुसंधानपरक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय वर्तमान सत्र से सी०बी०सी०एस०, क्रेडिट-ग्रेडिंग एवं सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित 5 एकीकृत पाठ्यक्रम (IPA, IPC, IPM) प्रारम्भ कर चुका है, जो पाँच वर्षीय पाठ्यक्रम होंगे तथा जिसमें विद्यार्थी मात्र एक प्रवेश से स्नातक (BA, B.Com, BBA) के साथ-साथ परास्नातक (MA, M.Com, MBA) उपाधि भी प्राप्त कर सकेगा। इन एकीकृत पाठ्यक्रमों में बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास की सुविधा होगी। अतः विद्यार्थी यदि एक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् अध्ययन छोड़ देता है तो उसे सम्बन्धित संकाय में प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार दो वर्ष पश्चात् डिप्लोमा, तीन वर्ष पश्चात् स्नातक उपाधि, चार वर्ष में स्नातक (शोध) उपाधि तथा पाँच वर्ष पूर्ण करने पर परास्नातक की उपाधि प्राप्त करेगा।

विश्वविद्यालय भविष्य में लगभग सभी विषयों में स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए प्रतिबद्ध विस्तृत जानकारी के लिए कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.prsuniv.ac.in) का अवलोकन करें।

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय)

सामान्य प्रवेश प्रक्रिया – 2022

(सत्र : 2022-2023)

महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	25-06-2022
एकीकृत स्नातक (IPA, IPC, IPM) में आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	20-07-2022
परास्नातक (MA, M.COM, MSW) में आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	20-07-2022
काउंसलिंग प्रारम्भ होने की तिथि	वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

महत्त्वपूर्ण निर्देश

1. प्रवेश मात्र विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर ही दिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन कर सकता है। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी दशा में ऑफलाइन/अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं होंगे।
2. यह सूचना पुस्तिका/विवरणिका अभ्यर्थियों के लिए सामान्य दिग्दर्शन मात्र है तथा समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परिनियमों के अधीन हैं।
3. इस विवरणिका में दी गयी समस्त सूचनाएं प्रामाणिक हैं। तत्पश्चात होने वाला कोई भी परिवर्तन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिए गये लिंक **Admission** पर उपलब्ध होगी।
4. अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित कर लें कि जिस पाठ्यक्रम में वे प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, उस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु वे अर्ह हैं, प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
5. अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रवेश आवेदन भरते समय विशेष सतर्कता बरतें। अभ्यर्थी अपनी पात्रता के आधार पर पाठ्यक्रम का चयन करें। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा उपलब्ध करायी गई समस्त सूचनाएं सत्य हैं और उनकी प्रविष्टियाँ आवेदन पत्र में सही हैं। सूच्य है कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाएं एवं आवेदन पत्र में भरी गई प्रविष्टियों को किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जायेगा और विश्वविद्यालय न तो इस संदर्भ में उत्तरदायी होगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आवेदन/निवेदन स्वीकार करेगा।
6. आवेदन शुल्क सामान्य, आर्थिक कमजोर वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ₹ 1000/- तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ₹ 500/- निर्धारित है। जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
7. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भविष्य में पत्र व्यवहार एवं सन्दर्भ हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की छायाप्रति/फ़ीस जमा करने का विवरण अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें।
8. किसी भी प्रकार के विषय पर विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा। विश्वविद्यालय इस विवरणिका में दिए किसी भी बिन्दु में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन कर सकता है तथा किसी भी बिन्दु को निरस्त कर सकता है।
9. प्रवेश फार्म एवं ऑनलाइन भुगतान किए जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-
 - a. सर्वप्रथम अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.prsuniv.ac.in पर जाये।
 - b. वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर **Admission** के टैब में क्लिक करे, जिसके बाद एक नया पृष्ठ खुलेगा।
 - c. इस पृष्ठ में स्नातक (बी०ए०, बी०कॉम० एवं बी०बी०ए०) हेतु **Integrated Programmes (UG+PG)** वाले बॉक्स में **Apply Now** पर क्लिक करे अथवा परास्नातक (एम०ए०, एम०कॉम० एवं एम०एस०डब्ल्यू०) हेतु **PG Programmes** वाले बॉक्स में **Apply Now** पर क्लिक करें, जिससे पश्चात एक नया पृष्ठ खुलेगा।
 - d. अभ्यर्थी इस पृष्ठ में दिए **Registration** टैब पर क्लिक करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं। कृपया पंजीकरण के उपरान्त भविष्य में लॉगिन हेतु पंजीकरण संख्या अवश्य नोट कर लें।
 - e. पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी इसी पृष्ठ में दिए लॉगिन टैब में पंजीकरण संख्या एवं जन्मतिथि से लॉगिन कर सकता है तथा लॉगिन के उपरान्त अभ्यर्थी शुल्क जमा कर सकता है।
 - f. शुल्क जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य अन्य विवरण पूरित करके आवेदन सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकता है।
 - g. इस बात का ध्यान रहे कि आवेदन पत्र भरते समय जब तक आप **Submit** टैब में क्लिक नहीं करते, आप आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं किन्तु एक बार आवेदन पत्र सबमिट हो जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।
 - h. सफलतापूर्वक आवेदन हो जाने के पश्चात् आप आवेदन पत्र का प्रिंट कर सकते हैं। आवेदन पत्र के प्रिंटआउट को सुरक्षित रखें। काउंसलिंग के समय इसे विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
 - i. आप लॉगिन करके भी आवेदन पत्र का प्रिंट ले सकते हैं।
 - j. भविष्य में पत्राचार हेतु कृपया पंजीकरण संख्या एवं आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर का प्रयोग अवश्य करें।

विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

1. एकीकृत पाठ्यक्रम : (UG + PG)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा उ० प्र० शासन द्वारा निर्देशित न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को मुख्य केन्द्र में रखते हुए, विश्वविद्यालय एवं उसके स्थानीय परिधि में शैक्षणिक उन्नयन, बहु-विषयकता, अंतर्विषयकता तथा छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण और उनके बौद्धिक क्षमता के विकास को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय वर्तमान सत्र से कला तथा वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय में 5 वर्षीय (10 सेमेस्टर) कुल 5 एकीकृत पाठ्यक्रम (3 कला संकाय एवं 2 वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय) प्रारम्भ करने जा रहा है। इन पाठ्यक्रमों का मुख्य ध्येय यह है कि विद्यार्थियों में कौशल विकास के साथ-साथ उद्यमशीलता विकसित की जाएगी, साथ ही उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सफल तैयारी में सार्थक मदद मिलेगी। इन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी केवल एक बार प्रवेश लेने के बाद प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातक (शोध) तथा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर सकेगा। इन पाठ्यक्रमों में बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास की सुविधा होगी।

यह पाठ्यक्रम सी०बी०सी०एस०, सेमेस्टर, क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित होंगे। जिनकी संरचना निम्नवत है :-

1. इन एकीकृत पाठ्यक्रमों में छात्र तीन प्रमुख विषयों का चयन करेगा, जिसमें एक प्रमुख विषय अन्य संकाय से भी हो सकता है।
2. प्रत्येक छात्र को प्रथम दो वर्ष (4 सेमेस्टर) एवं चतुर्थ वर्ष में एक गौण विषय का भी चयन करना होगा, जो अनिवार्यतः अन्य विभाग अथवा अन्य संकाय से होगा।
3. छात्रों को प्रथम 4 सेमेस्टर में एक-एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम का भी चयन करना होगा।
4. छात्रों को प्रथम 6 सेमेस्टर में एक-एक अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम का भी अध्ययन करना होगा।
5. विश्वविद्यालय, कला संकाय में एक एकीकृत पाठ्यक्रम **IPA (Integrated Programme in Arts)** संचालित करने जा रहा है :
अ- कला संकाय के अन्तर्गत तालिका-1 में उल्लिखित विषयों में से किन्हीं तीन मुख्य विषयों का चयन विद्यार्थी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक विषय में सीटों की संख्या 60 निर्धारित है। इसके साथ-साथ विद्यार्थियों को पूर्व-पात्रता का पालन भी करना होगा जो निम्नवत हैं :
 - a. दो से अधिक भाषा विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
 - b. दो से अधिक प्रायोगिक विषय एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
 - c. समाजशास्त्र एवं समाजकार्य एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
 - d. राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन एक साथ चयनित नहीं किये जायेंगे।
6. विश्वविद्यालय, वाणिज्य एवं प्रबन्ध संकाय में भी दो एकीकृत पाठ्यक्रम **IPC (Integrated Programme in Commerce)** एवं **IPM (Integrated Programme in Management)** संचालित करने जा रहा है :
अ- विद्यार्थी को वाणिज्य मुख्य विषय के साथ प्रथम 4 सेमेस्टर हेतु मुख्य विषय अन्य संकाय से चयनित करने की स्वतन्त्रता होगी। इस पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या 60 निर्धारित है।
ब- विद्यार्थी को प्रबन्धन मुख्य विषय के साथ प्रथम 4 सेमेस्टर हेतु मुख्य विषय अन्य संकाय से चयनित करने की स्वतन्त्रता होगी। इस पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या 60 निर्धारित है।
7. विद्यार्थियों का प्रवेश उनके इंटरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट निर्धारित करके किया जायेगा।
8. विद्यार्थी सफलतापूर्वक प्रथम वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् यदि निकास करता है तो उसे सम्बन्धित संकाय में प्रमाणपत्र, दो वर्ष पूर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में डिप्लोमा, तीन वर्ष पूर्ण करने पर स्नातक उपाधि, चतुर्थ वर्ष पूर्ण करने पर स्नातक (शोध) तथा पाँच वर्ष पूर्ण करने पर सम्बन्धित संकाय में परास्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी।
9. इस पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि यदि कोई विद्यार्थी एक या दो वर्ष पूर्ण करने के बाद अध्ययन छोड़ देता है और वह फिर कुछ समय बाद प्रवेश लेना चाहता है तो उसे अगली कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। इस प्रकार उसके द्वारा उपयोग किये गये समय का सदुपयोग हो सकेगा।

एकीकृत पाठ्यक्रम हेतु मुख्य विषय :

तालिका-1

कला संकाय (मुख्य/मेजर विषय)				
इनमें से किन्ही तीन मुख्य विषयों का चयन करें				
हिन्दी	प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व	भूगोल	समाजशास्त्र	मनोविज्ञान
संस्कृत	दर्शनशास्त्र	राजनीति विज्ञान	समाज कार्य	अन्य संकाय-वाणिज्य अथवा प्रबन्धन
अंग्रेजी	रक्षा एवं स्रातेजिक अध्ययन	अर्थशास्त्र	लोक प्रशासन	-

तालिका-2

वाणिज्य एवं प्रबन्धन संकाय (मुख्य/मेजर विषय)			
विषय समूह	विषय -1	विषय -2	विषय -3 (इनमें से किसी एक विषय का चयन अपनी स्वेच्छा से करें)
समूह-अ	वाणिज्य	वाणिज्य	1. वाणिज्य 2. प्रबन्ध
समूह-ब	प्रबन्धन	प्रबन्ध	3. अन्य संकाय- कला संकाय से कोई भी विषय

एकीकृत पाठ्यक्रम हेतु गौण विषय (माइजर/इलेक्टिव) :

1. माइजर/इलेक्टिव कोर्स किसी भी मुख्य विषय का एक पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।
2. माइजर/इलेक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय से लेना होगा। माइजर इलेक्टिव में प्रायोगिक प्रश्न पत्र को चयनित नहीं किया जा सकता है।
3. बहुविषयता एवं अंतर्विषयकता सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइजर/इलेक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
4. विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइजर/इलेक्टिव विषय (एक माइजर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा।
5. विश्वविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइजर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पाँचवें एवं छठवें वर्ष में माइजर/इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।
6. विद्यार्थी अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध प्रश्नपत्रों में से कोई एक माइजर/इलेक्टिव पेपर के रूप में चुनाव कर सकता है अर्थात् उसे वर्ष में संचालित हो रहे किसी भी विषय के दो प्रश्नपत्रों में से किसी भी सेमेस्टर के एक प्रश्नपत्र का चुनाव करना है और उस प्रश्न पत्र का वार्षिक अध्ययन करना है।
7. माइजर/इलेक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित मुख्य विषयों के पेपर में से किया जायेगा। चुने हुए माइजर पेपर की कक्षाएँ विभाग में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।

एकीकृत पाठ्यक्रम हेतु अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम :

तालिका-3

अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम (प्रथम तीन वर्ष में प्रत्येक सेमेस्टर हेतु एक पाठ्यक्रम का चुनाव करें)		
1.	सेमेस्टर-1	भोजन, पोषण और स्वच्छता
2.	सेमेस्टर-2	प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य
3.	सेमेस्टर-3	मानवीय मूल्य और पर्यावरण अध्ययन
4.	सेमेस्टर-4	शारीरिक शिक्षा और योग
5.	सेमेस्टर-5	विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता
6.	सेमेस्टर-6	संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास

एकीकृत पाठ्यक्रम हेतु व्यवसायिक (कौशल विकास) पाठ्यक्रम :

तालिका-4

व्यवसायिक (कौशल) पाठ्यक्रम (अपनी सुविधानुसार प्रथम दो वर्ष में प्रत्येक सेमेस्टर हेतु किसी एक पाठ्यक्रम का चुनाव करें)			
1.	बेसिक्स ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन	17.	फोटोग्राफी
2.	बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस	18.	वीडियोग्राफी
3.	रेशम कीट पालन	19.	खेल पोषण एवं भौतिक चिकित्सा
4.	मधुमक्खी पालन	20.	यात्रा प्रबन्धन
5.	कुटीर उद्योग	21.	प्रिन्टिंग
6.	पोषण एवं स्वास्थ्य देखभाल विज्ञान	22.	प्रकाशन
7.	हस्तशिल्प	23.	नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रबन्धन
8.	अचार एवं पापड़ निर्माण	24.	मृदा एवं जल संरक्षण
9.	डेयरी उत्पाद एवं प्रसंस्करण	25.	सौर्य ऊर्जा
10.	बागवानी	26.	पर्यटन प्रबन्धन
11.	बिजली उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव	27.	आतिथ्य प्रबन्धन
12.	गार्डेनिंग	28.	पत्रकारिता एवं जन संचार
13.	खाद्य प्रसंस्करण	29.	फैशन डिजाइन
14.	फर्नीचर विकास	30.	इंटीरियर डिजाइन
15.	नर्सरी प्रबन्धन	31.	हरितगृह तकनीक
16.	मत्स्य पालन	32.	कुक्कुट पालन

2. परास्नातक पाठ्यक्रम : (MA+MSW+M.COM.)

1. विश्वविद्यालय वर्तमान सत्र से परास्नातक (एम०ए०, एम०एस०डब्ल्यू और एम० कॉम०) स्तर पर कुल 14 विषयों में सी०बी०सी०एस० प्रणाली पर आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित कर रहा है। ये सभी पाठ्यक्रम क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली पर आधारित सेमेस्टर पद्धति से आच्छादित होंगे।
2. परास्नातक में प्रवेश स्नातक एवं समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार होगा।
3. भूगोल, मनोविज्ञान और समाज कार्य प्रयोगात्मक विषय हैं।
4. इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं :-

1.	हिन्दी साहित्य	8.	अर्थशास्त्र
2.	संस्कृत	9.	रक्षा एवं स्रातेजिक अध्ययन
3.	प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व	10.	समाजशास्त्र
4.	राजनीति विज्ञान	11.	समाज कार्य
5.	भूगोल	12.	अंग्रेजी साहित्य
6.	दर्शनशास्त्र	13.	लोक प्रशासन
7.	मनोविज्ञान	14.	वाणिज्य (एम.कॉम.)

आरक्षण नीति एवं अधिभार :

उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा। जो वर्तमान में निम्नवत है :

प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आरक्षण का पालन किया जायेगा :

(क) अनुसूचित जाति 21 प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जनजाति 02 प्रतिशत

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी अर्ह नहीं हैं) 27 प्रतिशत

(घ) आर्थिक कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु (सामान्य वर्ग से) सम्पूर्ण अनुमन्य सीटों का 10% (सामान्य वर्ग से)

नोट : 1. उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II दिनांक 18 फरवरी 2019 के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु अनुमन्य कुल सीटों के सापेक्ष 10% सीटों पर सामान्य वर्ग की उपलब्ध सीटों के अन्तर्गत आरक्षण किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप – यदि किसी पाठ्यक्रम में 60 सीटें प्रवेश के लिए उपलब्ध हैं तो सामान्य वर्ग की 30 सीटों के अन्तर्गत 06 सीटें EWS वर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित की जाएंगी कि 01 सीट महिला (20% महिला आरक्षण) तथा 05 सीट पुरुष अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु उपलब्ध हो।

2. उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1, दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर-अनुदानित) में प्रवेश के लिए 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर प्रणाली जारी की गई है। विश्वविद्यालय परिसर तथा समस्त महाविद्यालयों में इसी 100 बिन्दु आरक्षण रोस्टर प्रणाली के आलोक में समस्त प्रवेश सम्पन्न किए जायेंगे।

क्षैतिज आरक्षण -

(क) शारीरिक रूप से विकलांग (दृष्टिबाधितों हेतु 1% को सम्मिलित करते हुए)	05 प्रतिशत
(ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री, प्रपौत्र/प्रपौत्री)	02 प्रतिशत
(ग) भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षाकर्मी अथवा उनके पाल्य	02 प्रतिशत
(घ) कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य (पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री)	01 प्रतिशत
(ङ) महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत

नोट : आरक्षण का लाभ मात्र उत्तर प्रदेश के मूलनिवासियों को ही प्रदान किया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन होगा। आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी का नवीनतम प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

अधिभार -

प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नानुसार अधिभार प्रदान किया जायेगा :

(क) एन०सी०सी० "बी०" अथवा "सी०" प्रमाणपत्र धारक	2.5 प्रतिशत
(ख) उत्कृष्ट खिलाडी	05 प्रतिशत

नोट : अधिभार का लाभ मात्र उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन होगा।

प्रवेश पद्धति

1. प्रवेश अर्हकारी परीक्षा इंटरमीडिएट/स्नातक की मेरिट के आधार पर किए जाएंगे। यदि दो अभ्यर्थियों की मेरिट समान होती है तो उन पर निम्नलिखित शर्तानुसार प्रवेश दिया जायेगा :-

अ- एकीकृत पाठ्यक्रम हेतु : उनके हाईस्कूल के अंको के आधार पर अधिभार दिया जायेगा फिर भी यदि मेरिट समान है तो जिसकी उम्र अधिक होगी उसको प्रवेश दिया जायेगा।

ब- परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु : उनके इंटरमीडिएट के अंको के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। फिर भी यदि मेरिट समान है तो हाईस्कूल के अंको के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा परन्तु यदि फिर भी मेरिट समान है तो जिसकी उम्र अधिक होगी उसको प्रवेश दिया जायेगा।

2. मेरिट हेतु किसी भी संवर्ग (कैटेगरी) तथा भारांक (वेटेज) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

3. गलत जानकारी देने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अर्हता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, परन्तु उनका प्रवेश अन्तिम तिथि तक उत्तीर्ण अंकतालिका प्रस्तुत करने पर ही अनुमन्य होगा।

5. विद्यार्थी को प्रवेश के समय विश्वविद्यालय का निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क जमा करना होगा; जो विद्यार्थी के अध्ययन प्रारम्भ करने तथा सेमेस्टर/ईयर बैक की दशा में नॉन रिफंडेबल होगा।

6. अध्ययन अन्तराल (Study Gap) की दशा में विद्यार्थी रू 10 के हलफनामा में इस विषय का शपथ पत्र देंगे कि इस अन्तराल में उनके द्वारा क्या कार्य किये गये हैं।

परामर्श (Counselling)

काउंसलिंग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन निरन्तर करते रहें।

काउंसलिंग के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मूल अभिलेख एवं उनकी एक छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
(इनके बिना अभ्यर्थी के प्रवेश के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा)

● एकीकृत पाठ्यक्रम हेतु :

1. ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट
2. हाईस्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र
3. इंटरमीडिएट का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र
4. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र
5. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
6. ई०डब्ल्यू०एस० प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
7. दो रंगीन छायाचित्र
8. प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क
9. अधिभार प्रमाण पत्र (यदि अपने आवेदन पत्र में पूरित किया है)

● परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु :

1. ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट
2. हाईस्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र
3. इंटरमीडिएट का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र
4. स्नातक अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र
5. मूल स्थानान्तरण/माइग्रेशन प्रमाण पत्र
6. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
7. ई०डब्ल्यू०एस० प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
8. दो रंगीन छायाचित्र
9. प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क
10. अधिभार प्रमाण पत्र (यदि अपने आवेदन पत्र में पूरित किया है)

नोट : कृपया निर्धारित शुल्क काउंसलिंग के समय जमा करनी होगी। शुल्क के विवरण हेतु शुल्क तालिका का अवलोकन करें।

छात्रवृत्ति

- विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अधीन छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान होगी।
- छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर स्वयं आवेदन करना होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं करेगा। छात्रवृत्ति सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सहायता एवं जानकारी हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी से विद्यार्थी को स्वयं सम्पर्क करना होगा।

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

पाठ्यक्रम, सीट एवं न्यूनतम योग्यता

तालिका-5: (सत्र - 2022-23)

परास्नातक (एम०ए०, एम०एस०डब्ल्यू० और एम०कॉम०)						
क्र०स०	विभाग	विषय	अवधि	न्यूनतम योग्यता	सीट	
1.	प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व	प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय वर्ग में 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा।	50	
2.	राजनीति विज्ञान	राजनीति विज्ञान	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)		40	
3.	लोक प्रशासन	लोक प्रशासन	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)		50	
4.	दर्शनशास्त्र	दर्शनशास्त्र	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)		40	
5.	व्यावहारिक अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सम्बन्धित विषय सहित 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा।	50	
6.	हिन्दी	हिन्दी	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)		40	
7.	संस्कृत	संस्कृत	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)		40	
8.	समाजकार्य	समाजकार्य	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)		50	
9.	समाजशास्त्र	समाजशास्त्र	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)		40	
10.	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)		40	
11.	अंग्रेजी	अंग्रेजी	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)		40	
12.	भूगोल	भूगोल	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)		40	
13.	मनोविज्ञान	मनोविज्ञान	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)		40	
14.	वाणिज्य	वाणिज्य	2 वर्ष (4 सेमेस्टर)		किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०कॉम० अथवा अर्थशास्त्र अथवा गणित के साथ 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति 35%) के साथ स्नातक उत्तीर्णा।	50

पाठ्यक्रम, सीट एवं न्यूनतम योग्यता

(सत्र - 2022-23)

तालिका-6

बी०ए०+एम०ए० - कला में एकीकृत पाठ्यक्रम (IPA)						
क्र०स०	पाठ्यक्रम	विषय समूह	पाठ्यक्रम	अवधि	न्यूनतम योग्यता	सीट
1.	कला में एकीकृत पाठ्यक्रम (IPA)	1.हिन्दी 2.संस्कृत 3.अंग्रेजी, 4.भूगोल 5.प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व 6.दर्शनशास्त्र 7.समाजशास्त्र 8.राजनीति विज्ञान 9.अर्थशास्त्र 10.समाज कार्य 11.लोक प्रशासन 12.मनोविज्ञान 13.रक्षा एवं खातेजिक अध्ययन 14.अन्य संकाय (वाणिज्य अथवा प्रबन्ध)	बी०ए०+एम०ए०	5 वर्ष (10 सेमेस्टर)	किसी भी विषय वर्ग में 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति -35%) के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	60 प्रति विषय

तालिका-7

बी०कॉम०+एम०कॉम० - वाणिज्य में एकीकृत पाठ्यक्रम (IPC)						
क्र०स०	पाठ्यक्रम	विषय समूह	पाठ्यक्रम	अवधि	न्यूनतम योग्यता	सीट
1.	वाणिज्य में एकीकृत पाठ्यक्रम (IPC)	वाणिज्य	बी०कॉम० + एम०कॉम०	5 वर्ष (10 सेमेस्टर)	किसी भी विषय वर्ग में 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति -35%) के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	60

तालिका-8

बी०बी०ए० + एम०बी०ए० - प्रबन्ध में एकीकृत पाठ्यक्रम (IPM)						
क्र०स०	पाठ्यक्रम	विषय समूह	पाठ्यक्रम	अवधि	न्यूनतम योग्यता	सीट
1.	प्रबन्ध में एकीकृत पाठ्यक्रम (IPM)	व्यवसाय और प्रबन्ध	बी०बी०ए० + एम०बी०ए०	5 वर्ष (10 सेमेस्टर)	किसी भी विषय वर्ग में 40% (अनुसूचित जाति एवं जनजाति -35%) के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	60

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

विश्वविद्यालय शुल्क विवरण

अकादमिक सत्र 2022-23

तालिका-9

(परास्नातक पाठ्यक्रम)

पाठ्यक्रम	शुल्क (₹) प्रति सेमेस्टर	प्रवेश के समय मात्र एक बार शुल्क (₹)	कुल शुल्क (₹) (प्रवेश के समय)
परास्नातक	3515.00	3300.00*	6815.00
परास्नातक (प्रयोगात्मक परीक्षा सहित)	4515.00	3300.00*	7815.00

नोट : *इसमें 2500.00 रुपये कॉशन मनी सम्मिलित है, जो प्रतिदेय (Refundable) है।

तालिका-10

बी०ए०+एम०ए० - कला में एकीकृत पाठ्यक्रम (IPA)

पाठ्यक्रम	शुल्क (₹) प्रति सेमेस्टर	प्रवेश के समय मात्र एक बार शुल्क (₹)	कुल शुल्क (₹) (प्रवेश के समय)
IPA	प्रथम 6 सेमेस्टर हेतु	7250.00	3200.00*
	अन्तिम 4 सेमेस्टर हेतु	9250.00	-

नोट : *इसमें 2500.00 रुपये कॉशन मनी सम्मिलित है, जो प्रतिदेय (Refundable) है।

तालिका-11

बी०कॉम०+एम०कॉम० - वाणिज्य में एकीकृत पाठ्यक्रम (IPC)

पाठ्यक्रम	शुल्क (₹) प्रति सेमेस्टर	प्रवेश के समय मात्र एक बार शुल्क (₹)	कुल शुल्क (₹) (प्रवेश के समय)
IPC	प्रथम 6 सेमेस्टर हेतु	9250.00	3200.00*
	अन्तिम 4 सेमेस्टर हेतु	12250.00	-

नोट : *इसमें 2500.00 रुपये कॉशन मनी सम्मिलित है, जो प्रतिदेय (Refundable) है।

तालिका-12

बी०बी०ए० + एम०बी०ए० - प्रबन्धन में एकीकृत पाठ्यक्रम (IPM)

पाठ्यक्रम		शुल्क (रु) प्रति सेमेस्टर	प्रवेश के समय मात्र एक बार शुल्क (रु)	कुल शुल्क (रु) (प्रवेश के समय)
IPM	प्रथम 6 सेमेस्टर हेतु	12250.00	3200.00*	15450.00
	अन्तिम 4 सेमेस्टर हेतु	14750.00	-	

नोट : *इसमें 2500.00 रुपये कौशन मनी सम्मिलित है, जो प्रतिदेय (Refundable) है।

- छात्राओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी।
- सम्पर्क सूत्र:

प्रवेश समिति

क्र०स०	नाम	सम्पर्क सूत्र
1.	प्रो० अर्चना चन्द्रा	deancom@prsuniv.ac.in
2.	प्रो० राज कुमार गुप्त	deanarts@prsuniv.ac.in
3.	प्रो० विवेक कुमार सिंह	dsw@prsuniv.ac.in

सहायक प्रवेश समिति

क्र०स०	नाम	मोबाइल	क्र०स०	नाम	मोबाइल
1.	डॉ० मनमोहन तिवारी	+91 8805095519	5.	डॉ० उत्कर्ष उपाध्याय	+91 9455969140
2.	डॉ० आशुतोष कुमार सिंह	+91 7587439157	6.	डॉ० श्वेता श्रीवास्तव	+91 8318324069
3.	डॉ० अविनाश कुमार श्रीवास्तव	+91 9450590772	7.	डॉ० दिव्या द्विवेदी	+91 7800942944
4.	डॉ० प्रदीप कुमार त्रिपाठी	+91 9598977990	8.	डॉ० आनन्द राजा	+91 7974644298

प्रवेश तकनीकी समिति

1.	डॉ० मनोज कुमार वर्मा	+91 9415302861
2.	डॉ० अतुल कुमार वर्मा	+91 9451467352
3.	डॉ० कविता गौतम	+91 8924922367
4.	डॉ० प्रशान्त सिंह	+91 9415080510
5.	डॉ० प्रियंका सक्सेना	+91 9410605051
6.	डॉ० गीतांजलि श्रीवास्तव	+91 8799148308

प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, नैनी, प्रयागराज – 211010

वेबसाइट	www.prsuniv.ac.in
ई-मेल	admission@prsuniv.ac.in
तकनीकी सहायक (फॉर्म भरने से सम्बन्धित)	+91 8400919565 asuhelpline@gmail.com (10:00 AM to 5:00 PM)

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-2

संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1

लखनऊ, दिनांक : 13 अगस्त, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चिन्हांकित आरक्षण की व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु 100 बिन्दुओं का रोस्टर निर्गत किया गया है। कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.2, दिनांक 18.02.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण आदेश निर्गत होने के उपरान्त प्रदेश में लागू रोस्टर प्रणाली में आयी कठिनाईयों के दृष्टिगत 100 बिन्दुओं का निर्गत रोस्टर व्यवस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था के आधार पर रोस्टर प्रणाली में संशोधन किया जाना अपरिहार्य हो गया है। अतः रोस्टर व्यवस्था के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-4/1/2001-कार्मिक-2, दिनांक 25.06.2002 को कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 18.02.2019 के अनुक्रम में संशोधित करते हुए आरक्षण को लागू करने के लिए एतद्वारा निम्नवत् रोस्टर प्रणाली जारी किया जाता है:-

- 1- अनुसूचित जाति
- 2- अनारक्षित
- 3- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 4- अनारक्षित
- 5- अनुसूचित जाति
- 6- अनारक्षित
- 7- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 8- अनारक्षित
- 9- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 10- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

- 11- अनुसूचित जाति
- 12- अनारक्षित
- 13- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 14- अनारक्षित
- 15- अनुसूचित जाति
- 16- अनारक्षित
- 17- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 18- अनारक्षित
- 19- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 20- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 21- अनुसूचित जाति
- 22- अनारक्षित
- 23- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 24- अनारक्षित
- 25- अनुसूचित जाति
- 26- अनारक्षित
- 27- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 28- अनारक्षित
- 29- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 30- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 31- अनुसूचित जाति
- 32- अनारक्षित
- 33- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 34- अनारक्षित
- 35- अनुसूचित जाति
- 36- अनारक्षित
- 37- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 38- अनारक्षित
- 39- अन्य पिछड़ा वर्ग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

40- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

41- अनुसूचित जाति

42- अनारक्षित

43- अन्य पिछड़ा वर्ग

44- अनारक्षित

45- अनुसूचित जाति

46- अनारक्षित

47- अनुसूचित जनजाति

48- अनारक्षित

49- अनुसूचित जाति

50- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

51- अन्य पिछड़ा वर्ग

52- अनारक्षित

53- अनुसूचित जाति

54- अनारक्षित

55- अन्य पिछड़ा वर्ग

56- अनारक्षित

57- अन्य पिछड़ा वर्ग

58- अनारक्षित

59- अनुसूचित जाति

60- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

61- अन्य पिछड़ा वर्ग

62- अनारक्षित

63- अनुसूचित जाति

64- अनारक्षित

65- अन्य पिछड़ा वर्ग

66- अनारक्षित

67- अन्य पिछड़ा वर्ग

68- अनारक्षित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 69- अनुसूचित जाति
- 70- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 71- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 72- अनारक्षित
- 73- अनुसूचित जाति
- 74- अनारक्षित
- 75- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 76- अनारक्षित
- 77- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 78- अनारक्षित
- 79- अनुसूचित जाति
- 80- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 81- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 82- अनारक्षित
- 83- अनुसूचित जाति
- 84- अनारक्षित
- 85- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 86- अनारक्षित
- 87- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 88- अनारक्षित
- 89- अनुसूचित जाति
- 90- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
- 91- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 92- अनारक्षित
- 93- अनुसूचित जाति
- 94- अनारक्षित
- 95- अन्य पिछड़ा वर्ग
- 96- अनारक्षित
- 97- अनुसूचित जनजाति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

- 98- अनारक्षित
 99- अनुसूचित जाति
 100- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

मुकुल सिंहल
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2019(1)/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 3) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 5) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 6) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
- 7) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
- 8) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 9) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
- 10) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 11) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

अरविन्द मोहन चित्रांशी
 विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।